

कार्यालय निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला


पृष्ठांकन क्रमांक: 12/2-2017 प्र0(3)

दिनांक: पंचकूला 15-10-18

अधीक्षक संसदीय कार्य कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार पत्र क्रमांक 1/1/2017-1सं0 का0 दिनांक शून्य द्वारा हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान (छुट्टियों के समय) विभागों के कर्मचारियों को हरियाणा सचिवालय में प्रवेश करने से संबंधित जारी किये गये पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।
2. एन0सी0सी0 यूनिटों के सभी कमान अधिकारी।
3. पुस्तकाध्यक्ष, सैन्ट्रल स्टेट लाईब्रेरी, अम्बाला कैंट तथा सभी जिला एवं उपमण्डल पुस्तकालय।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

  
अधीक्षक प्रशासन  
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकूला।


पृष्ठांकन क्रमांक : -सम-

दिनांक: पंचकूला 15-10-18

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशालय के सभी अधिकारी/शाखाध्यक्ष।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, उ0शि0, स्टैनो/अति0नि0 प्र0
3. प्रशासन शाखा के सभी सहायक।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

  
अधीक्षक प्रशासन,  
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकूला।

Dir. Higher Edu.

CFMS No. 27321 Dated 29/8/18  
O/o DHE H. PKL

322 (G) Army  
519/18

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/1/2017-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
3. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़

विषय:-

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान (छुट्टियों के समय) विभागों के कर्मचारियों को हरियाणा सचिवालय में प्रवेश करने बारे ।

महोदय /महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, प्रशासकीय अधिकारी रिसैप्शन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 81/01/2016 दिनांक 8.9.2017 ( जिसकी प्रति **website : csharyana.gov.in** पर Ad.O1 में उपलब्ध है ) की और दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के कर्मचारी जो कि अधिवेशन से सम्बन्धित दस्तावेज/प्रश्नों के उत्तर इत्यादि लेकर हरियाणा सिविल सचिवालय (राजनैतिक शाखा में) छुट्टियों के दौरान आयेगें, आप उनके हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रवेश करने के लिए पास अपने विभाग/अपने स्तर पर बनवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

*Jitendra*

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

DGHE & SECY.  
No. 6720  
Date 29/8/18

*DD end*

*375  
JCP/for*

*Feed  
29/8/18*

*Paper  
7/9/18  
RGT*